कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक 778 /व.लि.–1/2020 धमतरी, दिनांक 26/1/2021

प्रति,

1. पुलिस अधीक्षक, धमतरी।
2. वनमंडलाधिकारी धमतरी।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धमतरी।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी/कुरूद/नगरी
5. तहसीलदार, धमतरी/कुरूद/भखारा/मगरलोड/नगरी/कुकरेल
6. आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी।
7. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी।
8. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं धमतरी।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी।
10. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत आमदी/भखारा/कुरूद/मगरलोड/नगरी।

विषयः– धमतरी जिले में एवियन इनफ्लूएन्जा (H 5 N 1) के धनात्मक प्रकरण पाये जाने के संबंध में।

––0––

धमतरी जिला के विकासखंड धमतरी के ग्राम छाती के रहवासी इलाका में 15 मृत मुर्गियों में बर्ड फ्लू संक्रमण का मामला सामने आया है। अतः बर्ड फ्लू के संक्रमण के रोकथाम हेतु पशुपालन एंव डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी Revised action plan for Prevention & Containment of avian enfluenza 2021 के अनुसार विभागीय समन्वय स्थापित कर जिले में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। जिले में बर्ड फ्लू से संबंधित एंव आमजनों के समस्याओं का समाधान तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे। पशुधन विकास विभाग द्वारा उकत कार्य योजना के अनुसार आवश्यक संख्या में रैपिड रिस्पोंस दलों का गठन किया जाना है, जो कि आवश्यक कार्यवाही जैसे Culling पक्षियों के निपटान, पर्यवेक्षण एवं संक्रमित क्षेत्र में कीटाणुशोधन की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे। इन दलों हेतु पी.पी.ई. किट एवं सैनिटाईजेशन हेतु आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्तता सुनिश्चित किया जाये।

संक्रमण पाये गये क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधी को संक्रमित क्षेत्र एवं 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित किया जाकर एस.ओ.पी. के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। संक्रमित क्षेत्र एवं सर्विलेंस क्षेत्र में की मैपिंग की जाकर स्थानीय भाषा में साईन बोर्ड लगाये जावें। संक्रमित क्षेत्र में

कुक्कुट पक्षियों की Culling एवं Disposal की कार्यवाही राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एवं नगरीय प्रशासन विभाग/पंचायत विभाग के प्रतिनिधियों के समक्ष शासन की गाईडलाईन के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सर्विलेंस क्षेत्र में निगरानी एस.ओ.पी. के अनुसार सुनिश्चित करें। मारे गए पक्षियों के अपशिष्टों का जैव सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रबंधन किया जावे।

उक्त फॉर्म पोल्ट्री फॉर्म कार्यरत कर्मचारियों को 10 दिवस हेतु क्वारेंटाईन किया जावे, तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर लक्षण युक्त कर्मचारियों का एस.ओ.पी. के अनुसार सैंपल लिया जाकर टेस्टिंग हेतु भेजा जावे तथा एन्टीवायरल प्रोफाईलेक्सिस दिया जावे। साथ ही लक्षण एवं संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार कर आमजनों को जागरूक किया जाये।

जिले के बाहर एवं जिल के भीतर कुक्कुट एवं अण्डे का किसी प्रकार का भी परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जिले में उक्त से संबंधित समस्त विक्रय केन्द्र की निगरानी की भी आवश्यकता है। अतः राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एवं स्थानीय निकाय/पंचायत विभाग आपसी समन्वय से सतत निगरानी रखे। प्रतिबंधित क्षेत्र के साथ–साथ अन्य जिलों से लगी सीमाओं में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग के समन्वय से बैरिकेडिंग करायें एवं सतत निगरानी हेतु पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाये।

Revised action plan for Prevention & Containment of avian enfluenza 2021 के अनुलग्न 5 के अनुसार पशु चिकित्सा/वन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/पुलिस विभाग आपसी समन्वय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उप संचालक पशुधन विकास विभाग धमतरी दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 779 /व.लि.–1/2020 धमतरी, दिनांक 26/1/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0शासन, नगर प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संचालक पशु चिकित्सा सेंवायें, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर कलेक्टर जिला धमतरी को सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी/कुरूद/नगरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।